



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/766

दिनांक: -13/08/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (10) कम्पनियों का नाम **पश्चिम बंगाल** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AA9211541	U02401WB2024PTC269458	बी. एम. पेस्ट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड
2	AA9545293	U65990WB2022PLN252154	बांग्लारसाथी निधि लिमिटेड
3	AA9517778	U72900WB2022PTC255565	ब्लू कोड आईटी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
4	AA9646690	U63090WB2019PTC234700	गोफ्लार्डस्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
5	AA9403238	U24111WB2006PTC109833	रेज़ोनेंस स्पेशलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड,
6	AA9460470	U93000WB2015PTC204792	स्वपनो कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
7	AA9383034	U66120WB2023PTC263075	पैरेंट्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
8	AA9508261	U74999WB2016PTC215508	कृषिका ब्रांडिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
9	AA8712862	U51909WB2008PTC126949	ब्यूटी सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AA9697091	U28994WB2022PTC257074	बंगाल मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र